जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर

65/201

मुन्तकिली प्रकरण सं0 65/2016 अनवानी करणीसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 37जीबी तहसील श्रीविजयनगर बनाम जगनन्दन सिंह पुत्र दमनसिंह जाति जटसिख निवासी 37 जीबी तहसील श्रीविजयनगर 2–गुरनन्दन सिंह 3–साहब सिंह 4–तहसीलदार, श्रीविजयनगर 5–उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है, उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर में लम्बित वाद संख्या 132/2012 अनवानी करणी सिंह बनाम जगनन्दन सिंह आदि मय प्रार्थना पत्र सं0 106/2012 धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर